

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**  
**पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर**  
**कस्टमर केयर नंबर-9406900500, E.mail- [jdssanchi@gmail.com](mailto:jdssanchi@gmail.com)**  
**[jabalpur.sanchi@gmail.com](mailto:jabalpur.sanchi@gmail.com)**

क्र. 730/जेएसडीएस/विप.-65/2024/जबलपुर

दिनांक: 11.03.2024.

**रेल्वे स्टेशन पर साँची मिल्क पार्लर संचालन हेतु**  
**“अभिरूचि की अभिव्यक्ति”**

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मदनमहल रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म क्र. 01 में फुट ओवर ब्रिज के पास साँची पार्लर संचालन करने हेतु (पार्लर साईज 10\*6=60 स्केयर फीट) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन पत्र, नियम व शर्तों का विस्तृत विवरण [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) वेबसाईट में जबलपुर दुग्ध संघ की निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता वेबसाईट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर प्रपत्र को भरकर आवेदन प्रपत्र का मूल्य रु. 1000/- की डी.डी. जो कि “जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर” के नाम से देय हो, अथवा जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय में नगद जमा कर उसकी पावती संलग्न कर एवं दिनांक 19.03.2024 दोपहर 2:00 बजे तक जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय की आवक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों को उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी जानकारी के लिये दुग्ध संघ की विपणन शाखा से कार्यालयीन दिवस में संपर्क किया जा सकता है। एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होने पर एकल आवेदक का चयन किया जावेगा। दो या अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा आवेदक का चयन किया जावेगा।

किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निहित होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

मदनमहल प्लेटफार्म क. 01  
रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु  
आवेदन प्रपत्र वर्ष-2024



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्र: करौंदा नाला, इमलिया, आधारताल, जबलपुर

टोल फ्री नंबर-9406900500

E-mail : [jdssanchi@gmail.com](mailto:jdssanchi@gmail.com),  
[jabalpur.sanchi@gmail.com](mailto:jabalpur.sanchi@gmail.com)

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर-482002**

**“मदनमहल प्लेटफार्म क. 01 रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र”**

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 12.03.2024 से दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 19.03.2024 सांय 03:00 बजे तक
3.	आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र क्र. 01
4.	पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यक अर्हताएँ	प्रपत्र क्र. 02
	तकनीकी अर्हताएँ	प्रपत्र क्र. 03
5.	रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें	प्रपत्र क्र. 04
6.	शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 05
7.	रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 06
8.	जमानतनामा का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 07
9.	शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 08

**आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य बिन्दु:-**

1. प्रपत्र क्र. 01 “रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र”, प्रपत्र क्र. 02 “पात्रता निर्धारण हेतु अनिवार्य अर्हताएँ” एवं प्रपत्र क्र. 03 “तकनीकी अर्हताएँ” की प्रतिपूर्ति कर एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित कर एक लिफाफे में रख कर सील बंद करें तथा लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता, मोबाईल नंबर अंकित कर, लिफाफा क्र. 01 लिखें।
2. प्रपत्र क्र. 4 से 8 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर कर पृथक लिफाफे में रखकर सीलबंद करें। जिस पर “लिफाफा क्रमांक 02” अंकित करें।
3. लिफाफा क्र. 1 एवं 2 को एक बड़े अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता अपना नाम, पता एवं जिस रेल्वे मिल्क पार्लर (स्टेशन व प्लेटफार्म का नाम) संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में विज्ञापन में वर्णित अनुसार निर्धारित दिनांक को सांय 03:00 बजे तक जमा करें। पार्लर संचालन हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

## रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

स्वयं का प्रमाणित  
फोटो चिपकाए

- अ) नाम .....
- ब) पिता/पति का नाम .....
- स) लिंग पुरुष/महिला .....
- वर्ग: (आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाए)

अनुसूचित जाति  अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग  सामान्य वर्ग

आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग

(उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

- शैक्षणिक योग्यता: .....  
(न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं (8<sup>th</sup>) पास)
- पता:
  - स्थायी पता : (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें) .....  
(दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)
  - पत्र व्यवहार का पता : .....  
(दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)
- स्टेशन एवं प्लेटफार्म कमांक. जहाँ के लिये आवेदन किया जा रहा है: .....
- वर्तमान में परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार के पास साँची रेल्वे पार्लर आवंटित है या नहीं : .....
- वर्तमान व्यवसाय/कार्य:-
  - स्वयं का व्यवसाय .....
  - व्यवसाय के स्थान का पता (दूरभाष नम्बर) .....
- वित्तीय स्थिति
  - वर्तमान व्यवसाय की लागत .....
  - वर्तमान व्यवसाय से आय .....
  - मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी .....

की व्यवस्था।

9. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नहीं) .....
- (अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)
10. किसी तरह का आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण (हाँ/नहीं) .....
11. जमानतदार
- (i) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय  
.....
- (ii) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय  
.....
- (एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)

**घोषणा**— मैं रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित दुग्ध संघ/रेल्वे/आईआरसीटीसी की समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

**नोट :-**

1. आवेदन जमा करने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यालयीन दिवस में आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

दिनांक .....

आवेदक का नाम.....

स्थान .....

हस्ताक्षर

**पात्रता निर्धारण हेतु अनिवार्य अर्हताएँ एवं आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची**

क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की रू. 1000/- की मूल रसीद/डी.डी.	आवेदक, आवेदन प्रपत्र क्रय की मूल रसीद/डी.डी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2.	आधार कार्ड की छायाप्रति	आवेदक, आवेदन प्रपत्र के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति	यदि आवेदक एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग से हैं तो (जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
4.	निशक्तजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र	निशक्तजन होने की स्थिति में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की स्थिति में प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6.	शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं मार्कशीट की छायाप्रति।	मार्कशीट की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज। (यदि हो तो)	संलग्न करें।
8.	एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य हैं। किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है के संबंध में रू. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।	प्रपत्र क्रमांक 4 अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें।

**नोट :-** उपरोक्त वर्णित दस्तावेज एवं आवेदन में वर्णित अन्य दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
जबलपुर

रेल्वे मिल्क पार्लर मदनमहल स्टेशन के प्लेटफार्म क्र. 01 हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा प्रतिभूति राशि रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ----- दिनांक ----- जो कि ----- बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

**तकनीकी अर्हताएं**

क्र.	तकनीकी अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को जी.एस.टी. नंबर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नंबर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें। (नये कार्य आरंभ करने की दशा में आवेदन की प्रति संलग्न करें)
6.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस नं. की प्रति संलग्न करे।		लायसेंस नंबर की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। (नवीन व्यवसाय की स्थिति में FSSAI के आवेदन की प्रति संलग्न करें।)
7.	आवेदक को आवेदन के साथ रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।		1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) की मूल डी.डी. “जो जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर” के नाम देय, संलग्न करें।
8.	एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य हैं।		प्रपत्र क्रमांक 4 अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें।

	किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है के संबंध में रू. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।		
10	वित्तीय वर्ष, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, वर्ष 2021-22 एवं 2023-23 की आयकर विवरणी एवं बैलेन्स शीट (समस्त अनुसंलग्नों के साथ) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
11	दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव (यदि हो तो)		आवेदक स्वयं के लेटर हेड पर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करे।
12	बैंक खाता क्रमोंक (चालू खाता)		कैन्सिल चैक की प्रति संलग्न करें। नया कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में आवश्यक नहीं।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर-----

नाम :-----

पता :-----

-----  
-----

टेलीफोन नं.-----

मोबाईल नं -----



## रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें

1. आवेदक को जबलपुर शहर का मूल निवासी होना चाहिये।
2. आवेदन के साथ आवेदक को स्वयं प्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदनकर्ता वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र को वांछित दस्तावजों के साथ संलग्न कर रु. 1000/- फार्म के मूल्य एवं प्रतिभूति राशि की डी.डी. सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय आवक शाखा में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
4. आवेदक को दो जमानतदार देना अनिवार्य है, जिसमें से एक सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक है।
5. जमानतदार के जमानत देने पर यदि एजेंट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही कर सकेगा।
6. प्रपत्र क्रमांक 04 अनुबंध पत्र का प्रारूप है, आवंटन की दशा में आवेदक को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आईआरसीटीसी/रेल्वे के साथ भी ट्राई पार्टी अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।
7. रेल्वे द्वारा मिल्क पार्लर आवंटन नीति में परिवर्तन होने या अन्य कारण से जो भी गाईड लाईन जारी की जाती है उसका पालन दुग्ध संघ /आवेदक/एजेंट हो करना होगा।
8. तकनीकी परीक्षण में एक ही पात्र आवेदक प्राप्त होने पर एकल आवेदक का चयन किया जावेगा। तकनीकी परीक्षण उपरांत सफल दो या अधिक पात्र आवेदक प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा एजेंट का चयन किया जावेगा। लॉटरी का ड्रा संघ के द्वारा आवेदकों के समक्ष कराया जावेगा।
9. आवेदक को आवेदन के साथ रु. 100,000/- (रु एक लाख मात्र) की डी.डी. जो कि " जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर" के नाम से देय होगी, प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे। चयन होने पर रु. 100,000/- (रु एक लाख मात्र) बतौर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदक की प्रतिभूति राशि वापस की जावेगी।
10. आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात किसी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
11. सफल आवेदनकर्ता को वर्ष 2024-25 की लाईसेंस फीस राशि रु. 66000/- + जी.एसटी. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
12. रेल्वे मिल्क पार्लर का आवंटन एजेंट स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति राशि रिफन्ड लेने के पूर्व एजेंट को आईआरसीटीसी/रेल्वे से संबंधित शाखाओं से नो ड्यूज (No Dues) सार्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा।
13. आईआरसीटीसी/रेल्वे द्वारा निर्धारित लाईसेंस फीस वर्तमान में प्रभावशील एवं भविष्य में यदि कोई बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो उसके अनुरूप एजेंट को जमा करनी ही होगी एवं विद्युत, पानी एवं डीपफ्रीजर आदि व्यय एजेंट द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
14. रेल्वे मिल्क पार्लर से दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थ/रेल्वे द्वारा स्वीकृत पैकड पेय जल के ही विक्रय करने की अनुमति होगी इसके अतिरिक्त एजेंट द्वारा अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो आईआरसीटीसी/रेल्वे द्वारा जो भी एजेंट के विरुद्ध कार्यवाही कर जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसका वहन एजेंट को स्वयं करना होगा।
15. एजेंट को दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदायगी उपरांत किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेदारी एजेंट की होगी।

16. एजेंट को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय करना होगा। दुग्ध संघ अथवा आईआरसीटीसी/रेल्वे द्वारा एजेंट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करते पाये जाने पर दुग्ध संघ अथवा आईआरसीटीसी द्वारा जो भी जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तो उसका वहन एजेंट को करना होगा। उक्त कार्य की पुनरावृत्ति पाये जाने पर रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व से रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटित है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. यदि कोई ऐसा आवेदक या आवेदन जिसका संघ से रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व से संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तो उसका आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
19. यदि दोनो पक्षों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
20. समस्त विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर होगा।
21. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना होगा।
22. सेल्समेन को ड्रेस में नेम प्लेट लगा के रखना होगा।
23. आवेदन में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर वह निरस्त कर दिया जावेगा। एवं उक्त आवेदन को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
24. एजेंट को स्वयं के व्यय से रेल्वे प्रशासन से खाद्य विभाग का लाईसेंस, सेल्समेन के मेडीकल/पुलिस वैरीफिकेशन तथा अन्य संबंधित दस्तावेज बनवाने होंगे।

मैंने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मुझे आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की सभी शर्तें मान्य हैं एवं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

शपथ पत्र (केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि -

1. मेरा एमपीसीडीएफ भोपाल, से संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समिति के सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं है एवं ना ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा मेरा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।
3. मेरे द्वारा पार्लर आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय नहीं किया जाएगा।
4. मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दज नहीं है, ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है।
5. यदि भविष्य में इस शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित कथन गलत पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा पार्लर आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, जो कि मुझे मान्य होगी।”

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक- .....

गवाह-

1 नाम .....

पता- .....

.....

.....

मो.नं.- .....

आधारकार्ड नं.- .....

2 नाम- .....

पता- .....

.....

.....

मो.नं.- .....

आधार कार्ड नं.- .....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम-

पता- .....

.....

.....

मो.नं.-

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप (रु. 1000/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर)

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु .....  
..... पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री ..... आयु .....वर्ष, निवासी .....

..... (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है:-

- 1.अ. यह की प्रथम पक्ष द्वारा साँची दुध घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधित व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर .....रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म क्र..... पर स्थित साँची पार्लर से दुध एवं दूध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया जाता है।
- ब. यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सुचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पुर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है। तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने छोडने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।
- स. यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथि .....से दूसरे वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष..... की दिनांक 31.03..... तक की अवधि के लिये प्रभावशाली माना जायेगा। अर्थात इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि से वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च ..... तक होगी।  
उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पुर्व निष्पादित करना होगा, अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
- द. यह कि पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर देगा।
- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में साँची पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकार को देना होगा। ऐसा न करने पर पक्ष को अधिकार होगा कि वह साँची पार्लर का कब्जा कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष में को आपत्ती करने का अधिकार न हो।
- ई. यह कि यदि दोनो पक्षों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेंयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
- ड. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकारी सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
- उ. समस्त विवादों के निपटारों के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर ही होगा।

- 2.अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त एम.आर. नम्बर.....दिनांक.....  
रु...../— बतौर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करा दिये गये हैं, जिस पर कोई  
ब्याज देय नहीं होगा।
- ब. यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा  
करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- स. यह कि अमानत राशि में साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की  
भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
- उ. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियों की रु. 25000/— प्रत्येक की जमानत  
राशि देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामे के जमानतदारों पर  
बंधनकारक होंगे।
- इ. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्युरिटी वापसी के आवेदन करने पर उसे दुग्ध संघ से बकाया  
लेनदेन के समायोजन एवं रेल्वे मण्डल से संबंधित शाखाओं से नोड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत  
करने के पश्चात् ही स्वीकृति वापस की जाएगी (प्रथम 6 माह पॉर्लर संचालित करने के  
पश्चात् ही सिक्युरिटी वापस की जाएगी।)
- ई. द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य  
समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशाली है तथा भविष्य में प्रभावशाली होंगे।  
अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3.अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित पॉर्लर को 24 घंटे या रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में खुला रखना  
होगा।
- ब. यह की द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों की  
विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका साँची पार्लर पर  
लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही साँची पार्लर खोलना होगा।
- 4.अ. यह कि मिल्क साँची पार्लर प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है, जो कि रेल्वे की भूमि पर निर्मित है।  
द्वितीय पक्ष को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साँची पॉर्लर या भूमि के हस्तांतरण करने  
का कोई अधिकार नहीं होगा।
- ब. यह कि रेल्वे पॉर्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को  
स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा।  
नाप-तोल विभाग, नगर-निगम, रेल्वे, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये  
गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- द. यह की पार्लर में फ्रिज/डिप-फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी  
होगी।
- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय  
पक्ष द्वारा पार्लर पर विक्रय नहीं किया सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के  
समांतर हो या उसके प्रतिबंधित हो। ऐसा करते हुए पाये जाने पर पॉर्लर आवंटन तत्काल  
बिना किसी सूचना के निरस्त किया जा सकेंगे।
- ई. यह कि पार्लर पर हाने वाले व्यय जैसे रेल्वे लायसेंस फीस, भूमि किराया, विद्युत, पानी एवं  
अन्य व्यय एवं रख-रखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा एवं निर्धारित समय में  
रेल मण्डल कार्यालय अथवा दुग्ध संघ के निर्देशानुसार दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किया  
जावेगा।
- उ. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को  
अन्य कार्य हेतु देगें एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गंध रहित रखेंगे।

- 5.अ. प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक को नगद भुगतान या उसके द्वारा निर्धारित बैंक में द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी वह किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा इससे अधिक दर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
- द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि का पूर्ण रूपसे ..... दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानून कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
- इ. पार्लर एजेंट द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकद राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।
6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि रेल्वे, नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल कि मांग की जाने पर सील लगी ईकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेगे इस संबंध में तुरन्त प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई ईकाई या खुला पदार्थ दिया है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
8. यह की पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान, फर्नीचर, एवं फिक्सचर्स उपलब्ध कराए है, एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेगे। एवं क्रेन, क्रेटस बाटल प्रदाय किये जायेगे। किसी भी कारण उसकी टूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मुल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दुध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बाटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगी। एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
10. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय समय पर बनाए जायेगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

12. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटित निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेंटशिप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
14. यह कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (प्रथम पक्ष) द्वारा द्वितीय पक्षकार के नाम से आवंटित साँची पॉर्लर बूथ में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दुग्ध पदार्थ के उत्पादनकर्ता के माल का विक्रय नहीं किया जावेगा और ना ही बीडी, गुटका, पान तंबाकू मदिरा आदि अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जायेगा। इस का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर आवंटित कि गई उक्त रेल्वे साँची पॉर्लर को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।
15. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसो पर ही लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु..... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।
16. आवेदन की प्रक्रिया, समस्त शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर एजेन्ट पर बंधनकारी होंगे।
17. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात् शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर का होगा।
18. पॉर्लर/बूथ आवंटन उपरांत पॉर्लर एजेन्ट की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य का आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एजेन्ट को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है तो एजेन्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. अनुबंधित साँची मिल्क पॉर्लर/बूथ एजेन्ट की मृत्यु होने पर आश्रित एक सदस्य को वही पॉर्लर/बूथ संचालन हेतु नवीन नीति -2021 के तहत आवंटित किया जा सकेगा।  
उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों में पढकर समझ ली है एवं पूर्ण होशोहवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई है।

दिनांक.....

गवाह:-

1.हस्ताक्षर :

नाम.....  
पता.....

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,**  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

2.हस्ताक्षर :

नाम.....  
पता.....

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार

## जमानतनामा

मैं जमानतदार ..... आत्मज श्री ..... आयु.....  
 निवासी ..... कार्यालय ..... में .....पद  
 पर कार्यरत हूँ। मैं सत्यापन करता हूँ कि प्रथम पक्ष ..... एवं द्वितीय पक्ष .....  
 ....., आत्मज श्री ..... आयु ..... निवासी .....  
 के बीच आज दिनांक .....को साँची मिल्क पार्लर के संचालन संबंधी अनुबंध निष्पादित  
 किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये  
 25000/- (रू पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसानी की  
 राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा  
 अन्यथा प्रथम पक्ष मेरी चल-अचल संपत्ति से पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से वसूल करने के  
 अधिकारी रहेंगे।

मेरे द्वारा बतौर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर अनुबंध की  
 पूर्ति हेतु बतौर जमानत आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाह :  
 हस्ताक्षर  
 नाम.....  
 पता.....  
 मोबाइल.....

जमानतदार:  
 हस्ताक्षर  
 नाम.....  
 पता.....  
 मोबाइल.....



## शपथ पत्र

मैं..... आत्मज श्री ..... आयु निवासी.....  
..... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैंने आज दिनांक ..... को यह अनुबंध करार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित जबलपुर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त नियम व शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

### **सत्यापन**

मैं ..... सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक ..... को ..... में किया गया।

शपथग्रहिता.....







This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>